



6

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 21/12/2011 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास मार्ग हापुड रोड, गाजियाबाद, जो कि राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11, सन् 1973 पुर्नविधायन, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 की धारा-4 के अधीन गठित एक निकाय है, के प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जिसे इस विलेख में आगे प्रथम पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो विक्रेता, उसके प्रशासकों/अधिशालकों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशिकों से लिया जायेगा।)

.....विक्रेता

तथा

मेसर्स थापर बिल्डर्स प्रा० लि०, रजिस्टर्ड ऑफिस-ए-3, पम्पोस एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर श्री गौतम थापर पुत्र श्री अशोक थापर, निवासी-सी-7, फार्म हाउस, सतवाडी, दिल्ली (जिसको एतद् पश्चात "द्वितीय पक्ष" कहा गया है), के मध्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि का स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जाता है।

.....केता

For Thapar Builders Pvt. Ltd.
03/12/11

Director

6

डा. उमर खान
संयुक्त सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

समस्त भार एवं चार्ज से मुक्त विक्रेता की पूर्ण स्वामित्व की सम्पत्ति है और अन्तरित करने के लिए विधिक रूप से अधिकृत है तथा एफ0ए0आर0 व भू-आच्छादन वैशाली योजना में समान प्रकृति के अन्य ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के समान क्रेता को भी अनुमन्य होगा ।

2. यह कि भूखण्ड का कब्जा क्रेता को पूर्व में ही दिया जा चुका है ।
3. यह कि विकीत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर स्थित निर्माण आवासीय उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जायेगा ।
4. यह कि भूमि सम्बन्धी अधिकार भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाते हैं एवं भूखण्ड अवांटित करने के समय भूमि का मूल्य विक्रेता ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के द्वारा दिये गये अभिनिर्णय (अवार्ड) के आधार पर ही निर्धारित किया है परन्तु यदि भविष्य में न्यायालय द्वारा किसान को देय प्रतिकर तोषण (सोलेशियम) एवं इस मद में ब्याज की वृद्धि के आदेश किये जाये तो क्रेता इस हेतु सहमत होता है एवं प्रसविदा करता है कि उपरोक्त प्रकार के किसी आकस्मिक कारण से हुई वृद्धि की जिम्मेदारी क्रेता द्वारा धारित भूखण्ड क्षेत्रफल भू विन्यास योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के अनुपात में क्रेता पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी एवं क्रेता तदनुसार हुई वृद्धि पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा नियमानुसार दिये गये मांगपत्र की सूचना प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर क्रेता द्वारा अदायगी कर दी जायेगी, इसमें असफल रहने पर यह राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी ।

For Thapar Builders Pvt. Ltd.
Director

काठ उदय ठाकुर

संयुक्त सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

5. यह कि विक्रेता के द्वारा भूखण्ड सम्बन्धी अधिकारों का अन्तरण किये जाने की दशा में इस विलेख में अंकित समस्त नियम व उपनियम सदैव प्रथम अन्तरिती, द्वितीय अन्तरिती एवं लगातार प्रत्येक अन्तरिती पर यथावत लागू रहेंगे तथा क्रेता द्वारा किये गये प्रसंविदा को सभी मानने के लिए बाध्य होंगे ।
6. यह कि किसी भी समय उक्त भूखण्ड सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की सहमति से विवाद हेतु एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकेगी जो कि विवाद सन्दर्भित होने के पश्चात् दोनों पक्षकारों की सुनवाई करके अपना निर्णय देगा ।
7. यह कि क्रेता अथवा उसके आवंटी नियमानुसार देयों, रेंट्स, टैक्स, चार्ज और एएसमेन्ट्स, आदि जो प्रश्नगत भूखण्ड व उस पर निर्मित निर्माण पर प्रथम पक्ष, अन्य स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित किये जायेंगे, अदा करेंगे ।
8. यह कि क्रेता अथवा उसके आवंटी स्वीकृत उपयोग के विपरीत कोई निर्माण नहीं करेंगे । यदि ऐसा पाया जाता है तो विक्रेता उसको नियमानुसार गिराने के लिए स्वतन्त्र होगा ।
9. यह कि क्रेता अथवा उसके आवंटी नियमानुसार जल आपूर्ति, सीवर, ड्रेन व विद्युत आपूर्ति के कनेक्शन प्राप्त करेंगे । प्रथम पक्ष द्वारा यह

For The Director
Director

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद